राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–12/2020
उषा कौशिक बनाम सरयूग मोची, विजय पासवान एवं पूनम देवी

यह वाद श्रीमती उषा कौषिक पति–श्री कौशल कौशिक, ग्राम–निरसपुरा, थाना–नौबतपुर, जिला–पटना द्वारा श्री सरयूग मोची, पार्षद, वार्ड संख्या–14, श्री विजय पासवान, पार्षद, वार्ड संख्या–02 एवं श्रीमती पूनम देवी, पार्षद, वार्ड संख्या–06, नगर पंचायत, नौबतपुर जिला–पटना को दिनांक–04.04.2008 के बाद दो से अधिक जीवित संतान है, रहने के कारण बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (1) (m) एवं धारा–18 (2) के तहत वार्ड पार्षद के पद से हटाने हेतु लाया गया है।

2. विचाराधीन वाद की अंतिम सुनवाई दिनांक–07.04.2021 को किया गया था तथा न्यायालय द्वारा आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, परन्तु कोविड–19 महामारी के दूसरे लहर से उत्पन्न स्थिति तदोपरांत पंचायत आम निर्वाचन–2021 में आयोग की अतिव्यस्तता के कारण आदेश पारित नहीं हो सका। चूँकि आदेश को सुरक्षित रखे हुए 06 माह की समय अवधि व्यतीत हो गई थी अतएव सामान्य न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इसकी पुनः सुनवाई दिनांकः–15.02.2022 को की गई जिसमें वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम, प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विश्व विभूति कुमार सिंह एवं जिला प्रशासन की ओर से जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना उपस्थित हुए। इस सुनवाई में न्यायालय द्वारा सिर्फ पूर्व में न्यायालय के समक्ष उपस्थापित तथ्यों एवं अभिलेखों पर ही विचार किया गया, कोई अतिरिक्त तथ्य या अभिलेख न्यायालय के समक्ष उपस्थापित नहीं हुआ।

3. सर्वप्रथम वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री एस0बी0के0 मंगलम द्वारा बारी–बारी से तीनों प्रतिवादियों नामतः श्री सरयुग मोची, श्री विजय पासवान एवं श्रीमति पूनम देवी के विरूद्ध अपने वाद/पूरक प्रति में लगाए गए आरोपों, साक्ष्यों एवं प्रतिवादी द्वारा समर्पित प्रतिषपथ–पत्र तथा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराये गये जाँच प्रतिवेदनों के संगत अंशों को न्यायालय के समक्ष उद्धृत किया गया । आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा दावा किया गया कि श्री सरयुग मोची को कुल 05 संतान है जिसमें अंतिम संतान स्वाती कुमारी का जन्म दिनांकः–05.03.2010 को हुआ है। अपने दावे की पुष्टि में स्वाती कुमारी के विद्यालय नामांकन पंजी एवं सरकार के 'डी0बी0टी0 स्कीम' के तहत पोषाक प्राप्ति हेतु दर्ज किये गये जन्मतिथि को आधार बनाया गया। पुनः विद्वान अधिवक्ता का यह भी दावा है कि प्रतिवादी श्री सरयुग मोची द्वारा अपने नामांकन पत्र में तथ्यों को छुपाया गया तथा अपनी अंतिम संतान के नामांकन पंजी में छेड़छाड़ कर पूर्व से अंकित जन्म तिथि दिनांक–

05.03.2010 को काटकर दिनांक– 15.03.2008 अंकित किया गया। इसके लिए विद्यालय के प्राधिकार के साथ साँठ–गाँठ की गई। श्री मंगलम द्वारा प्रतिवादी के जवाब के साथ संलग्न किये गये जन्म प्रमाण–पत्र के वैधता पर प्रश्न चिह्न खड़ा करते हुए दावा किया कि स्वाती कुमारी का जन्म प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत निसारपुरा द्वारा निर्गत है। जबकि जिस तिथि को प्रमाण पत्र निर्गत किया गया उस तिथि को पंचायत निसारपुरा का अस्तित्व ही नहीं था इसका विलय नौबतपुर नगर पंचायत में वर्ष 2009 में किया जा चुका था। अतः भंग ग्राम पंचायत निसारपुरा से निर्गत जन्म प्रमाण पत्र वैध नहीं है। इसी अवैध प्रमाण पत्र के आधार पर विद्यालय प्राधिकार से सांठ–गांठ कर प्रतिवादी द्वारा स्वाती कुमारी के नामांकन पंजी में जन्म तिथि में हेर–फेर किया गया है। श्री मंगलम द्वारा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेदन के संगत अंश को भी अपने दावे की पुष्टि के लिए न्यायालय के समक्ष रखा गया।

4. दूसरे प्रतिवादी श्री विजय पासवान के संबंध में श्री मंगलम ने दावा किया कि अमित कुमार उर्फ नन्दलाल श्री पासवान का अंतिम संतान है, जिसका जन्म दिनांकः–07.07.2013 को हुआ है। इसकी पुष्टि आँगन वाड़ी सेविका केन्द्र संख्या–141 (नगर पंचायत नौबतपुर) की पंजी से होती है। इसके अतिरिक्त उनके 03 अन्य जीवित संतान भी हैं। इस प्रकार उनको कुल 04 जीवित संतान है जिसमें अंतिम संतान बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–18(1) (ड) में निर्धारित Cut off Date (05.04.2008) के बाद पैदा हुआ है। उनके द्वारा साक्ष्य स्वरूप रेफरल अस्पताल, नौबतपुर, पटना द्वारा जारी जन्म रिपोर्ट को न्यायालय के समक्ष रखा गया जिसमें जिन्में हुए शिशु का जन्मतिथि 07.07.2013 अंकित है तथा पिता का नाम विजय पासवान एवं माता का नाम मिन्ता देवी अंकित है। साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेदन के संगत अंश को भी अपने दावे की पुष्टि के लिए न्यायालय के समक्ष रखा गया।

अंतिम प्रतिवादी श्रीमति पूनम देवी के संबंध में दावा किया गया कि प्रतिवादी को कुल 03 जीवित संतान है, जिसमें अंतिम संतान संजीव कुमार है। अंतिम संतान संजीव कुमार के नाम से निर्गत आधार संख्या–445310859589 है जिसमें इनकी जन्मतिथि 11.07.2014 अंकित है। इस संबंध में उनके द्वारा राशन कार्ड संख्याः–10230014048013760000455 3 में दर्ज पारिवारिक सदस्यों की सूची एवं उसमें उल्लिखित आयु को न्यायालय के समक्ष रखा गया। वादी के अधिवक्ता का दावा है कि वर्ष–2017 में उक्त राशन कार्ड हेतु आवेदन दिया गया था, जिसमें सबसे बड़ी संतान प्रीति कुमारी की आयु 08 वर्ष अंकित है तथा सबसे छोटे संतान संजीव कुमार की आयु 04 वर्ष

अंकित है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाणित होता है कि अंतिम संतान संजीव कुमार का जन्म निश्चित रूप से 2015 के बाद ही हुआ होगा, जो Cut off Date (05.04.2008) के बाद का समय है। इस संबंध में भी उनके द्वारा राशन कार्ड एवं आधार कार्ड तथा जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए जाँच प्रतिवेदन के साथ संलग्न संगत अंश को साक्ष्य स्वरूप न्यायालय के समक्ष उद्धृत किया गया।

5- वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पक्ष रखने के उपरांत प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता श्री विश्व विभूति कुमार सिंह द्वारा बारी–बारी से अपने मुवक्कीलों का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा गया। सर्वप्रथम बचाव पक्ष द्वारा श्री सरयुग मोची का पक्ष रखते हुए न्यायालय के समक्ष यह तथ्य रखा गया कि उनके द्वारा किसी प्रकार का तथ्य छुपाया नहीं गया है उनकी अंतिम संतान स्वाती कुमारी का जन्म 15.03.2008 को हुआ है न कि 05.03.2010 को। इस संबंध में उनके द्वारा पंचायत, निसारपुरा द्वारा निर्गत जन्म प्रमाण–पत्र जो कि दिनांक–25.09.2010 को निर्गत है तथा जिसमें स्वाती कुमारी की जन्मतिथि 15.03.2008 अंकित है, न्यायालय के समक्ष रखा गया। साथ ही साथ स्वाती कुमारी के नाम से खरीदे गए UTI Mutual Fund एवं उनके टीकाकरण के कागजात जिनमें स्वाती कुमारी की जन्मतिथि 15.03.2008 अंकित है, न्यायालय के प्रकाश में लाया गया। विद्यालय में जन्मतिथि के छेड़–छोड़ के संबंध में उनके द्वारा दावा किया गया कि वैध जन्म प्रमाण–पत्र के आधार पर ही उनके द्वारा अपने जन्म तिथि में सुधार हेतु अपने प्राधानाध्यापक से अनुरोध किया गया था जिसके आलोक में विद्यालय द्वारा उनकी जन्मतिथि में सुधार किया गया है। जन्मतिथि में सुधार वैध दस्तावेज के आधार पर किया गया है। कोई अवैध छेड़छाड़ नहीं की गई है।

6 प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री सिंह के द्वारा श्री विजय पासवान (प्रतिवादी संख्या–02), के संबंध में बताया गया कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना पदाधिकारी–सह–मेडिकल ऑफिसर, रेफरल अस्पताल नौबतपुर पटना द्वारा निर्गत पत्रांक–05 /लो0सू0 दिनांक–01.12.2020 द्वारा दिया गया जन्म पंजीकरण पंजी किसी व्यक्ति का जन्मतिथि निर्धारित करने हेतु दस्तावेज नहीं है।

7 अंतिम प्रतिवादी श्रीमती पुनम देवी के संबंध में विद्वान अधिवक्ता श्री सिंह के द्वारा बताया गया कि श्री रोहित कुमार, श्री संतोष कुमार एवं स्व0 उर्मिला देवी की संतान है। श्री संतोष कुमार श्रीमती पूनम देवी का भाई है जिसने अपने पुत्र को अपनी बहन के पास छोड़ दिया है। चूंकि रोहित कुमार की माता स्वर्गवासी हो चुकी हैं तथा पिता गृह त्यागकर किसी अज्ञात जगह पर चले गए है। अतः श्रीमति पूनम देवी इसका देख–रेख करती है। इसी कारण राशन कार्ड में आश्रित के तौर पर उसका नाम अंकित है और गलती से रोहित

कुमार के पिता का नाम श्री पिन्टु साव दर्ज हो गया है। दावे की पुष्टि के लिए रोहित कुमार का जन्म प्रमाण–पत्र जोकि नगर पंचायत बिक्रम से दिनांक–02.12.2016 को निर्गत है, न्यायालय के समक्ष रखा गया । इस जन्म प्रमाण–पत्र में माता का नाम स्व0 उर्मिला देवी, पिता का नाम श्री संतोष साव तथा जन्म तिथि–27.09.2012 अंकित है। इसके साथ ही अंचलाधिकारी बिक्रम द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची प्रमाण–पत्र भी न्यायालय के समक्ष रखा गया, जिसमें स्व0 भगेरन साव के पौत्र के रूप में श्री संतोष साव एवं पौत्री के रूप में श्रीमती पूनम देवी का नाम अंकित है।

8 विचाराधीन वाद में वादी द्वारा किये गये दावों की जॉच जिला प्रशासन द्वारा कराई गई। पत्रांक–4376/निर्वा0, दिनांक–30.12.2020 द्वारा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी पटना द्वारा जॉच प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध कराया गया। जॉच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि श्री सरयूग मोर्ची को पॉच संतान हैं जिसमें अंतिम संतान स्वाती कुमारी है, जिसका जन्म दिनांक–05.03.2010 को हुआ है।

श्री विजय पासवान के संबंध में जॉच पदाधिकारी द्वारा पाया गया कि श्री पासवान को चार संतान हैं। अंतिम संतान अर्थात चौथे पुत्र का जन्म दिनांक–07.07.2013 को हुआ है। इस तथ्य को नामांकन के दौरान छुपाया गया है।

श्रीमती पूनम देवी के संबंध में जॉच पदाधिकारी के द्वारा पाया गया कि श्रीमती पूनम देवी के कुल तीन संतान हैं एवं तीनों संतानों का जन्म वर्ष 2008 के बाद हुआ है।

प्रमाणों के आधार पर जॉच पदाधिकारी द्वारा वादी द्वारा लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित पाया गया जिसकी सम्पुष्टि जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी पटना द्वारा भी की गई है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी पटना द्वारा यह भी संसूचित किया गया कि जॉच के दौरान प्रतिवादी पक्ष के लोगों द्वारा जॉच को प्रभावित करने हेतु अभद्र भाषा एवं मारपीट आदि का किया गया जिस कारण उनके विरुद्व नियमानुसार कार्रवाई करते हुए थाना कांड संख्या–626/2020 दिनांक–19.12.2020 नौबतपुर, पटना थाने में दर्ज है।

न्यायालय द्वारा तीनों प्रतिवादी वार्ड पार्षदों के संबंध में अधिवक्ता द्वय के तर्कों एवं इनके द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों तथा जिला प्रशासन द्वारा न्यायालय को समर्पित जॉच प्रतिवेदन का अलग–अलग विश्लेषण किया गया। प्राप्त साक्ष्यों, तथ्यों एवं

तर्कों के आधार पर तीनों प्रतिवादियों के संबंध में न्यायालय का अलग–अलग अभिमत/निर्णय निम्नवत है:–

(क.) श्री सरयुग मोची– न्यायालय का अभिमत है कि श्री सरयुग मोची के संबंध में वादी के द्वारा किया गया दावा कि उनके पॉचवें संतान स्वाती कुमारी का जन्म दिनांक–05.03.2010 को हुआ है, सत्य पाया गया। वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों जिनमें स्वाती कुमारी के नामांकन पंजी में दर्ज जन्म तिथि में छेड़– छाड़ कर पूर्व से अंकित जन्म तिथि 05.03.2010 के स्थान पर 15.03.2008 बनाया गया है, सत्य पाया गया। इसी प्रकार स्वाती कुमारी को प्रदान किये जाने वाले मुख्यमंत्री पोषाक योजना के तहत डी.बी.टी (डायरेक्ट वेनीफिट ट्रांसफर) से संबंधित दस्तावेजों में भी जन्म तिथि 05.03.2010 ही अंकित पाया गया।

प्रतिवादी द्वारा दिया गया स्वाती कुमारी का जन्म प्रमाण–पत्र, जिसके आधार पर प्रतिवादी द्वारा नामांकन पंजी में सुधार कराने का दावा किया गया है एवं जिसके आधार पर ही यू.टी.आई म्यूचल फंड एवं टीकाकरण में अंकित जन्म तिथि 15.03.2008 का दावा किया है, वैध नहीं पाया गया । वादी का यह दावा कि स्वाती कुमारी को जन्म प्रमाण–पत्र जारी करने वाला निकाय, निबंधक जन्म एवं मृत्यु, ग्राम पंचायत निसारपुरा नगर पंचायत नौबतपुर (अधिसूचना सह पठित ज्ञापांक 1687 दिनांक 20.05.2009) के अस्तित्व में आने के कारण उक्त जन्म प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम प्राधिकार नहीं थे। इस दावे की पुष्टि जिला पदाधिकारी, पटना के प्रतिवेदन से भी हुई है।

(ख) श्री विजय पासवान– के संबंध में वादी के द्वारा किया गया दावा कि प्रतिवादी को कुल चार संतान हैं तथा अंतिम संतान अमित कुमार उर्फ नंदलाल की जन्म तिथि--07.07.2013 है, सत्य पाया गया। वादी द्वारा उपलब्ध कराया गया साक्ष्य नौबतपुर नगर पंचायत के ऑगनबाडत्री केंद्र संख्या–141, रेफल अस्पताल नौबतपुर के जन्म पंजीकरण पंजी में अमित कुमार का जन्म तिथि 07.07.2013 अंकित है साथ ही माता का नाम श्रीमती मिन्ता देवी एवं पिता का नाम श्री विजय पासवान अंकित हैं, यद्यपि रेफरल अस्पताल के जन्म पंजी में माता पिता के नामों में छेड़छाड़ का प्रयास किया गया है, तथापि यह स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है कि पूर्व में अंकित नाम मिन्ता देवी एवं विजय पासवान ही था। जॉच टीम के द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई है ।

यद्यपि प्रतिवादी के दावे के अनुरूप रेफरल अस्पताल का जन्म पंजीकरण पंजी जन्म तिथि के निर्धारण हेतु मानक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तथापि वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों एवं जॉच पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जॉच प्रतिवेदन से वादी के दावा की पुष्टि होती है और इस प्रकार यह सहयोगात्मक साक्ष्य (Collaborative Evidence) का कार्य करता है।

(ग) श्रीमती पूनम देवी, के संबंध में वादी का दावा की वादी के तीसरे एवं अंतिम संतान संजीव कुमार का जन्म तिथि 11.07.2014 है, सत्य पाया गया।

वादी के दावे को, जॉच के क्रम में जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा भी सही पाया गया है। संजीव कुमार के जन्म एवं इनके माता पिता के संबंध में स्थल जॉच के क्रम में यह पाया गया कि संजीव कुमार के माता–पिता से संबंधित कहानी काल्पनिक है, ना कि वास्तविक। इसी प्रकार संजीव कुमार का जन्म प्रमाण पत्र श्रीमति पूनम देवी के निर्वाचन वर्ष– 2015 के एक वर्ष बाद 2016 में निर्गत कराया गया है, जोकि After thought प्रतीत होता है, जिससे कि अयोग्यता से बचाव हो सके।

इस प्रकार तीनों प्रतिवादियों श्री सरयुग मोची (प्रतिवादी संख्या–01), श्री विजय पसवान (प्रतिवादी संख्या–02) तथा श्रीमती पूनम देवी (प्रतिवादी संख्या–03) के विरुद्व लगाये गये आरोप कि दिनांक–04.04.2008 के उपरांत इनके जीवित संतानों की संख्या 02 से अधिक है, जिनमें अंतिम जीवित संतान का जन्म दिनांक–04.04.2008 के उपरान्त हुआ है, प्रमाणित पाया गया है।

अतः इनके द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (1) (ड) के तहत नगरपालिका सदस्य (वार्ड पार्षद) का पद ग्रहण करने के लिए अयोग्यता अर्जित कर ली गई है। फलतः बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 (2) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए श्री सरयुग मोची (प्रतिवादी संख्या–01), श्री विजय पासवान (प्रतिवादी संख्या–02) तथा श्रीमती पूनम देवी (प्रतिवादी संख्या–03) को तत्काल प्रभाव से नगर पंचायत, नौबतपुर, पटना के संगत वार्डो कमशः वार्ड संख्या–14, वार्ड संख्या–02 एवं वार्ड संख्या–06 वार्ड पार्षद के पद से पदमुक्त किया जाता है। इसके साथ ही उक्त वार्ड में वार्ड पार्षद का पद रिक्त समझा जायेगा।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।
सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।
अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
02.03.2022
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
02.03.2022
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–12/2020 894 पटना, दिनांक– 3 मार्च, 2022

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक– 12/2022 894 पटना, दिनांक–3 मार्च, 2022

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), पटना /कार्यपालक पदा0, नगर पंचायत नौबतपुर पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव

ज्ञापांक–12/2022 894 पटना, दिनांक–3 मार्च, 2022

प्रतिलिपि–वादी श्रीमती उषा कौशिक, श्री सरयुग मोची (प्रतिवादी संख्या–01), श्री विजय पासवान (प्रतिवादी संख्या–02) तथा श्रीमती पूनम देवी (प्रतिवादी संख्या–03) नगर पंचायत, नौबतपुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

04/03/22
सचिव